न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–509/2026

CNR No.UPRP010036202026

(पंजीयन सं० 873/2026)

सावरी पत्नी जुम्मा, निवासी ग्राम मिलक सीकमपुर टाण्डा, जनपद रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

धारा–85, 103(1)BNS
थाना–टाण्डा, जिला रामपुर
अ०सं० 164/2026

आदेश

अभियुक्ता/प्रार्थिनी सावरी की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ–कर्ता शाकिर ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिनी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो योजित किया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता/प्रार्थिनी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी लगभग 62 वर्षीय वृद्ध महिला है, जो चलने फिरने में असमर्थ है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी दिनांक 26–05–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी के विरूद्ध दिनांक 22–04–2026 की घटना दिखाकर दिनांक 25–04–2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया है। वादी मुकदमा ने तहरीर में उसकी पुत्री शीबो की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या करना अंकित किया है, जबकि वादी मुकदमा की पुत्री ने कमरा बन्द करके स्वंय फांसी लगाई थी और अभियुक्ता/प्रार्थिनी उस समय अपने जरूरी काम से बाहर गयी थी।अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने वादी मुकदमा की पुत्री की गला घोटकर व किसी तरह प्रहार कर हत्या नहीं की है। मृतका शीबो के पति नाजिम व पुत्री इल्मा ने पुलिस अधीक्षक, रामपुर को दिनांक 04–06–2026 को बयान अंकित करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से शपथ पत्र दिये गये है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने उपरोक्त घटना से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थिनी अपने बच्चों से परिवार में अलग रहती है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी की बीमारियों की वजह से जेल में रहने से मृत्यु हो सकती है। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी का घटना से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्ता/प्रार्थिनी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्ता/प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है।उ से रंजिशन झूठा फंसाया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने अभियोजित अपराध नहीं किया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.07.14 17:05:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है।उनका तर्क है कि मामला गला घोटकर हत्या का है। अभियुक्ता/ प्रार्थिनी की घटना में भूमिका का कोई साक्ष्य नहीं है। मृतका द्वारा स्वंय कमरा बन्द करके आत्महत्या की गई है। उनका तर्क है कि गला घोटकर कमरे के अन्दर से बाहर आना सम्भव नहीं है। क्योंकि कमरा अन्दर से बन्द पाया गया है। उनका तर्क है कि उपरोक्त मामले में मृतका के पति नाजिम व पुत्री इल्मा ने अपने घटना से सम्बन्धित कथन व शपथ पत्र डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक,रामपुर को प्रेषित किये थे। उनका तर्क है कि अभियुक्ता/ प्रार्थिनी अपने बच्चों के साथ अलग निवास करती है। उनका तर्क है कि घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नही है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्ता/ प्रार्थिनी की घटना में संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्ता प्रार्थिनी 62 वर्षीय वृद्व महिला है,उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।अतः अभियुक्ता/प्रार्थिनी को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता श्री फैजान सरवर ने उपरोक्त तर्को का संयुक्त रूप से विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में मृतका के चरित्र पर अभियुक्तगण सन्देह करते थे। घटना का कारण/हेतु भी मृतका के चरित्र को लेकर ही रहा है। उनका तर्क है कि इस तथ्य का साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है कि मृतका का पति कारोबार के सिलसिले में बाहर रहता था और मृतका के कथित रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ अनैतिक सम्बन्ध थे। इसी सन्देह के आधार पर अभियुक्ता/प्रार्थिनी सहित अन्य सहअभियुक्तों ने उपरोक्त घटना कारित की है। उनका तर्क है कि इस तथ्य का साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है कि घटना के समय मृतका का गला घोटकर मारने के उपरान्त सहअभियुक्त/नाबालिग फैजान से दरवाजों के बीच में हाथ डालकर अन्दर से बन्द कराया गया था। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त फैजान ने अपने विवेचनागत कथनों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उपरोक्त घटना अभियुक्ता /प्रार्थिनी सहित अन्य नामित अभियुक्तों द्वारा की गई है। उनका तर्क है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन उपरोक्त सहअभियुक्त का बयान सुसंगत है और साक्ष्य में ग्राह्य है। उनका तर्क है कि इस मामले में मृतका की मृत्यु गला दबाने से उत्पन्न श्वसरोदन होना पाया गया है। मृतका के मृत्यु पूर्व चार चोटें आंख,डोढी,चेहरे व शरीर के अन्य अंगों पर आना पाया गया है। मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व मारपीट की गई थी और मृतका ने अपने बचाव में संघर्ष किया था। उनका तर्क है कि अभियुक्ता /प्रार्थिनी मृतका की सास है। घटना घर के अन्दर की है।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा मुस्तकीम पुत्र अब्दुल मजीद की ओर से दिनांक 22–04–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि वादी मुकदमा की पुत्री शीबो निवासी ग्राम भैसिया,थाना कटघर मिलक,जिला रामपुर की शादी लगभग 18 वर्ष पहले नाजिम पुत्र जुम्मा,निवासी मिलक सीकमपुर,थाना टाण्डा,जिला रामपुर के साथ हुई थी। कुछ दिन से वादी की पुत्री काफी परेशान रहती थी। वादी मुकदमा की पुत्री ने कहा कि उसके घर के लोग आए दिन उसके साथ गाली–गलौज व मारपीट करते रहते है,जिसकी शिकायत वादी

मुकदमा ने लड़के बाप से की, तो उक्त लोगों ने वादी मुकदमा से कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तुम अपनी लड़कों को उनके साथ भेज दो। वादी मुकदमा ने अपनी लड़की को लड़के के माँ–बाप के साथ भेज दिया। दिनांक 22–04–2026 को समय करीब सुबह 6.14 बजे पर वादी मुकदमा की पुत्री के मोबाइल नं० 9756332630 से 7248718859 पर सूचना मिली कि उसकी पुत्री रात से सोकर अभी तक नहीं उठी है। वादी मुकदमा घबरा गया और बीवी–बच्चों व भाई के साथ अपनी लड़की के घर आकर देखा, तो उसकी पुत्री मृत हालत में बेड पर पड़ी थी, जिसके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। वादी मुकदमा की पुत्री को मुनव्वर पुत्र जुम्मा, अख्तारूल पति मुनव्वर फैजान पुत्र मुनव्वर, भूरिया पत्नी असलम व सावरी पत्नी जुम्मा ने वादी मुकदमा की पुत्री को गले में दुपट्टा डालकर गला घोट दिया है, जिससे वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी सूचना वादी मुकदमा व उसके भाई जरीफ पुत्र शरीफ अहमद ने 112 डायल करके पुलिस को दी, तो उक्त सभी लोग मौके से भाग गये और पुलिस ने वादी मुकदमा की पुत्री को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उक्त सभी लोग वादी मुकदमा की पुत्री को आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे और अब उसकी पुत्री की उक्त लोगों ने गला घोटकर दुपट्टे से हत्या कर दी।

मृतका के पोस्टमार्टम में मृतका के गले पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त मृत्यु पूर्व चार चोटें चेहरे पर आने का साक्ष्य संकलित हुआ है। मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाने से उत्पन्न श्वसरोदन होना पाया गया है। घटना में अभियुक्ता/प्रार्थिनी की संलिप्तता के हेतु का साक्ष्य भी दौरान विवेचना संकलित हुआ है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी की घटना में सक्रिय संलिप्तता का साक्ष्य दौरान विवेचना एकत्रित हुआ है। घटना अभियुक्ता/प्रार्थिनी के घर के अन्दर की होना अभियोजन प्रपत्रों में दर्शाया गया है। दौरान विवेचना सहअभियुक्त/अवयस्क की संस्वीकृति के आधार पर भी अभियुक्ता/ प्रार्थिनी की घटना में सक्रिय संलिप्तता का साक्ष्य संकलित हुआ है। दौरान विवेचना अभियुक्ता/ प्रार्थिनी के विरूद्ध प्रबल परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलित हुआ है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुरक्षित अन्वेषण एवं विचारण को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर अभियुक्ता/प्रार्थिनी को जमानत प्रदत्त किए जाने का कोई पर्याप्त व न्यायोचित आधार प्रकट नहीं होता है।

तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

अभियुक्ता/प्रार्थिनी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 14–07–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545